रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16032026-270965
CG-DL-W-16032026-270965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मार्च 8—मार्च 14, 2026, शनिवार/फाल्गुन 17—फाल्गुन 23, 1947
No. 8] NEW DELHI, MARCH 8—MARCH 14, 2026, SATURDAY/PHALGUNA 17—PHALGUNA 23, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम श्रेणी I तथा श्रेणी II (गैर चिकित्सीय राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 1976 को, जहाँ तक उनका संबंध उप-सहायक निदेशक (जैवरसायन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केंद्र, दिल्ली में उप-सहायक निदेशक (जैवरसायन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केंद्र, उप सहायक निदेशक (जैवरसायन),समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2) **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3) **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4) **निरर्हता** : कोई भी ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि यदि केंदीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5) **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमो के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6) **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंदीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद या गैर-चयन पद है**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप-सहायक निदेशक (जैवरसायन)	*1 (2026) *कार्यभार के आधार परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु.56,100 1,77,500)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशो या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की छूट)	**आवश्यक अर्हताएं** **(क)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैवरसायन विज्ञान में परास्नातक; और **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के अधीन जैवरसायन विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।	**टिप्पण १-** अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थीयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण २ :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण भी होगा)	सीधी भर्ती द्वारा 100% **टिप्पण :** पदेधारी प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर होने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता हैं – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800 रु) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी मे दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी मे चार वर्ष की सेवा की हो, और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अहर्ता और अनुभव रखते हो ।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'क' विभागीय समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- 1) संयुक्त सचिव (संबंधित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2) उप- महानिदेशक (संबंधित)/निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

	3) निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केंद्र, दिल्ली - सदस्य	

[फा. सं. A.12018/1/2019-PRC (एडी/जैव रसायन)]

जसमिंदर अहलुवालिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd February, 2026

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Disease, National Filaria Control Programme and National Malaria Eradication Programme (Class I and Class II, Non-medical, Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the post of Deputy Assistant Director (Biochemistry) National Institute of Communicable Disease and Research Officer (Biochemistry) National Institute of Communicable Disease, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Biochemistry), in National Centre for Disease Control, Delhi, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Centre for Disease Control, Deputy Assistant Director (Biochemistry)**,** Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Assistant Director (Biochemistry).	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding Thirty-five years of age (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential Qualification :- (a) M.Sc. degree in Biochemistry from a recognised University; and (b) three years' teaching experience or research in Biochemistry in Government recognised institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	100% by direct recruitment. **Note: –** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800); or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary (concerned) Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

	2. Deputy Director General (Concerned) or Director, Directorate General of Health Services – Member; 3.Director, National Centre for Disease Control, Delhi - Member.	

[F. No. A.12018/1/2019-PRC(AD/Biochemistry)]

JASMINDER AHLUWALIA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम,2012 को; उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयके अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरणऔर वेतनमैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाऔर अन्यअहर्ताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:-वह व्यक्ति,-

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाहकिया हैया विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्रनहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीयसरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करकेतथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछड़े वर्गों,**भूतपूर्व सैनिकोंऔर अन्य विशेष प्रवर्गके व्यक्तियों के लिए उपबंधकरना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन-मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700/-2,08,700/-रू.)	चयन।

सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(06)	(07)	(08)	(09)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहींहोता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति याप्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याआमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44,900/-1,42,400/-रु.) में ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारीजिन्होंने उस श्रेणीमें नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और पुस्तकालय तथा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1:**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	**समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति** (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2.अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य;	प्रोन्नति की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतुयह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हकया पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,इनमें से जो भी कम हो,कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उच्चतरश्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100/-1,77,500/-रु.)या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53,100/-1,67,800/- रु) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600/-1,51,100/-रु) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; या	3. पुस्तकालय के कार्य से संबंधित निदेशक या उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग –सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति** (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव(स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य; 3. पुस्तकालय के कार्य संबंधित निदेशक या उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग -सदस्य।	

	(v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900/-1,42,400/-रु) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की हो; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासन या स्वाशासीया कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव । वांछनीय : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासन या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण पुस्तकालय क्रियाकलाप में एक वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोगमें डिप्लोमा। **टिप्पण 1-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक		

	पहलेधारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद।**
(01)	**(02)**	**(03)**	**(04)**	**(05)**
2. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारणकेन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रू.)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(06)	**(07)**	**(08)**	**(09)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35,400/- 1,12,400/-रु.) में ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने उस श्रेणीमें पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री हो और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति** (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - अध्यक्ष 2.निदेशक या उप	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)',** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या कानूनी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400/-112,400/- रु.) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वाशासी निकायों/कानूनी निकायों या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	सचिव(स्थापना), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य। 3. पुस्तकालय के कार्य से संबंधित निदेशक या उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य विभाग -सदस्य।	

	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए-12018/01/2016-स्था.(जी)]

शंभु दत्त सती, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

New Delhi, the 2nd March, 2026

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (Principal Library and Information Officer and Director and Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2012; except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the posts of Library and Information Officer and Assistant Library and Information Officer in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (Library and Information Officer and Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of said schedule.

4. **Disqualifications**.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.— Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1. Library and Information Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67,700/-2,08,700/-)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract)	**Promotion:** Assistant Library and Information Officer in level-7 (Rs. 44,900/-1,42,400/-) in the pay matrix with nine years' regular service in the grade and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. **Note1.**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of	**Group 'A' DepartmentalPromotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1.) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2.) Additional Secretary or Joint Secretary (Establishment), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member; (3.) Director or Deputy Secretary dealing in the work of Library, Department for Promotion of Industry	Consultation with Union Public Service Commission necessary in case of promotion.

			the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territory orpublic sector undertakings or Universities or recognised research institutions/ autonomous/ statutory organizations:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 (Rs. 56,100/- 1,77,500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 9 (Rs. 53,100/- 1,67,800/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts	and Internal Trade– Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1.) Additional Secretary or Joint Secretary (Establishment), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman (2.) Director or Deputy Secretary (Establishment), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member (3.) Director or Deputy Secretary dealing in the work of library, Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Member	

			in level 8 (Rs. 47,600/- 1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with nine years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 (Rs. 44,900/- 1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department (B) Possessing the following education qualification and experience: **Essential:** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Five years' professional experience in a Library under Central or State Government or Union Territories Administration orautonomous or statutory organization or public sector undertakingor University or recognised research or Educational institution. **Desirable:** (i) One year experience of computerising library activities in a library under the Central or State Government or Union Territories Administration orautonomous or statutory organisation or public sector undertakingor university or recognised research institute or educational Institution;		

			(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institute. **Note1:**The department -tal officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.** The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Library and Information Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service,Group ‘B’Gazetted Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44,900/- 1,42,400/-)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Library and Information Assistant in level 6 (Rs. 35,400/- 1,12,400/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade, possessing Bachelors Degree in Library Science or Bachelors Degree in Library and Information Science of a recognised university orinstitute and having successfully completed two weeks training in the field of Library and Information Science. **Note—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including Short Term Contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union Territory or public sector	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1.) Additional Secretary or Joint Secretary (Establishment), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman. (2.) Director or Deputy Secretary (Establishment), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member. (3.) Director or Deputy Secretary dealing in the work of Library, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			undertakings orautonomous bodies orstatutory bodies/ universities/ recognised research institutions**:-** (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 (Rs. 35,400/- 1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience **Essential:** (i) Bachelor's degree in Library Science or in Library and Information Science from a recognised university orinstitute; (ii) two years professional experience in a library under Central/ State Government or Union Territories/ public sector undertakings/ autonomous bodies/ statutory bodies or Universities/ recognised research institutions. **Desirable:** **(i)** Masters Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university orinstitute; (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similary, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		

			the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:**The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/2016-Estt.(G)]

SHAMBHU DATT SATI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.16 14:46:31 +05'30'